झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 3760/2021

एंथोनी तिग्गा, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता स्वर्गीय देवराज तिग्गा, निवासी - गिद्धी वाशरी, अरगडा, डाकघर - रेलीगढ़ा, थाना - गिद्धि, जिला - रामगढ़, झारखंड

..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, कार्यालय दरभंगा हाउस, डाकघर - जी.पी.ओ., थाना - कोतवाली, जिला- रांची।
2. महाप्रबंधक (कार्मिक), सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, कार्यालय दरभंगा हाउस, डाकघर - जी.पी.ओ., थाना - कोतवाली, जिला- रांची।
3. प्रबंधक, गिद्धी वाशरी, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, डाकघर+थाना - गिद्धी, जिला- रामगढ़। .....**...प्रतिवादी**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री बिनोद कुमार झा, अधिवक्ता
प्रतिवादी- सी.सी.एल. की ओर से : श्री अनूप कुमार मेहता, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से : श्री अनिल कुमार, एडिशनल एस.जी.आई.

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी है।

3. प्रार्थना स्वीकार की जाती है ।

4. श्री अनिल कुमार- एडिशनल एस.जी.आई. को नए जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से नोटिस प्राप्त होता है।

5. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह नए प्रतिवादी, प्रतिवादी संख्या 4 को अभियुक्त बनाए।

6. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी का कामगार था। याचिकाकर्ता की ओर से बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नाम और शैली में मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा औद्योगिक विवाद उठाया गया था। समझौता विफल रहा। संदर्भ संख्या 228/2000 के तहत एक संदर्भ दिया गया था। उक्त संदर्भ में पुरस्कार 14.08.2006 को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-I, धनबाद द्वारा पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि इस रिट याचिका के प्रबंधन-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की कार्रवाई श्री राम कुमार और अन्य प्रत्यक्ष अनुबंध मजदूरों को संदर्भ में संलग्न सूची के अनुसार नियमित करने से इनकार करना उचित नहीं था, जो गिद्धि वाशरी में संयंत्र की सफाई के काम में लगातार काम कर रहे थे और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से एनसीडब्ल्यूए के अनुसार मजदूरी का भी हकदार माना गया था। रिट याचिका (एल) संख्या 1802/2007. इसे दिनांक 11.09.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने एल.पी.ए. संख्या 345/2007 दायर किया और इसे भी दिनांक 04.12.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने विशेष अपील अनुमति (सीसी) संख्या 4345/2008 दायर की, लेकिन उसे दिनांक 28.03.2008 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और मान्यता प्राप्त यूनियन के बीच समझौता हुआ। इसके परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त यूनियन ने 56 पुरस्कार विजेताओं/व्यक्तियों का आवेदन प्रस्तुत किया और ऐसे आवेदन किए जाने पर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, लेकिन जहां तक याचिकाकर्ता सहित शेष छह पुरस्कार विजेताओं का सवाल है, कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए निर्णय लिया गया और उसके अनुसार संबंधित प्रायोजक यूनियन/कर्मचारी बिहार कोलियरी कामगार यूनियन को सूचित किया गया कि यदि 31.12.2008 के बाद उनका आवेदन प्राप्त होता है, तो रिट याचिकाकर्ता सहित छह पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कोई और दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को अपने पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए प्रायोजित संघ के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं के बारे में पता नहीं था। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ 11.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के

समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे अनुलग्नक-4 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जो रिट याचिकाकर्ता को संबोधित दिनांक 23.01.2018 का पत्र है, क्योंकि वह याचिकाकर्ता की मान्यता प्राप्त यूनियन बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच हुए समझौते के अनुसार 31.12.2008 से पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा था। उससे पहले, याचिकाकर्ता ने उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद-प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष दिनांक 13.06.2011 को दावा दायर किया था, जो अभी भी प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष लंबित है और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से उन कर्मचारियों का चयन किया है जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है, 62 कर्मचारियों की सूची में से तथा याचिकाकर्ता सहित 6 अन्य को नियमित नहीं किया है। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी अनुलग्नक-4 दिनांक 23.01.2018 के पत्र संख्या एम.पी.आर. (का.)/आई.आर.एल.एन. /पी.आर.का./18/29 (एच) को अपास्त करने के लिए उचित आदेश पारित किया जाए, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है।

8. दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार मेहता ने कहा कि प्रायोजक संघ ही संदर्भ और उच्च मंचों का विरोध कर रहा था, लेकिन कोई भी व्यक्तिगत कर्मचारी उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गया, लेकिन प्रायोजक संघ ने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि रिट याचिकाकर्ता ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से यह रिट याचिका दायर की है। श्री मेहता ने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ता- एंथोनी तिग्गा ने 31.12.2008 तक कर्मचारी के रूप में अपनी वास्तविकता से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और न ही उन्होंने प्रतिवादियों को अपने आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारणों के बारे में सूचित किया और उनके अभाव में, रिट याचिकाकर्ता- एंथोनी तिग्गा के दावे की वास्तविकता का प्रश्न विचारणीय नहीं है और याचिकाकर्ता के किसी भी दावे के अभाव में, उनके नाम पर नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री मेहता ने आगे कहा कि इस न्यायालय के दिनांक 22.07.2022 और 11.08.2022 के आदेशों के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता ने उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद के समक्ष कार्यवाही को रिकॉर्ड पर न लाकर

इसका उल्लंघन किया है और चूंकि रिट याचिकाकर्ता प्रस्तुत कर रहा है कि मामला अभी भी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद के समक्ष लंबित है, इसलिए उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद को कानून के अनुसार मामले में निर्णय लेने का निर्देश देना उचित होगा, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के पुरस्कार के संदर्भ में एक वास्तविक व्यक्ति होने के दावे के संबंध में किसी भी सबूत के अभाव में सीधे नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश प्रतिवादी संख्या 1 - 3 द्वारा नहीं दिया जा सकता है।

9. विद्वान एडिशनल एस.जी.आई. ने प्रस्तुत किया है कि यदि मामला उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के समक्ष लंबित है, तो वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने के भीतर मामले में निर्णय लेगा।

10. बार में प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता का मामला अभी भी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के समक्ष लंबित है, इसलिए इस रिट याचिका का निपटारा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13.06.2011 के आवेदन का निपटारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार करें।

11. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 2 जनवरी, 2024
एएफआर/अनिमेष

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।